



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072022-237631
CG-DL-E-28072022-237631

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3266]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 27, 2022/श्रावण 5, 1944

No. 3266]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 27, 2022/SHRAVANA 5, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2022

का.आ. 3428(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1587 (अ) तारीख 04-04-2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 22 (नया रा.मा.-05) के कि.मी. 174.04 से कि.मी. 176.4 (दिओरीघाट-प्रेमघाट अनुभाग, कि.मी. 0/000 से कि.मी. 2/395) तक के भू-खण्ड पर ठियोग बाईपास निर्माण के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 01-05-2022 को “दि ट्रिव्यून (अंग्रेजी)” और “अमर उजाला (हिन्दी)” दोनों में प्रकाशित किया गया था।

और सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई भी आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए।

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य के शिमला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 22 (नया रा.मा.-05) के कि.मी. 174.04 से कि.मी. 176.4 (दिओरीघाट-प्रेमघाट अनुभाग, कि.मी. 0/000 से कि.मी. 2/395) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित अधिग्रहण की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: हिमाचल प्रदेश			जिले का नाम: शिमला		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: थेओग				
	गांव का नाम: शाली तिंजर (290)				
1	138/3	निजी	घासनी	0.0296	दुर्गा सिंह (138/3)
2	138/3	निजी	घासनी	0.0296	काहन सिंह (138/3)
3	421/1	निजी	बंजर कदीम	0.0017333	रविंदर सिंह (421/1)
4	421/1	निजी	बंजर कदीम	0.0017333	जसबीर कौर (421/1)
5	421/1	निजी	बंजर कदीम	0.0008666	हरविंदर कौर (421/1)
6	421/1	निजी	बंजर कदीम	0.0008666	गगनीत कौर (421/1)
7	596/452/3/1	निजी	जाए सफेद	0.004025	दीपक (596/452/3/1)
			कुल	0.0684248	

[फा. सं. RW/NH-12014/707/2013/HP/NH-I(Part)/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2022

S.O. 3428(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, S.O. No. 1587 (E) dated 04 April, 2022, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building Theog bypass on NH22 (New NH-05) in the stretch of land from Km. 174.04 to Km. 176.4 (Deorighat-Premghat Section, Km. 0/000 to Km. 2/395) in the district of SHIMLA in the state of HIMACHAL PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in “*The Tribune (English)*” and “*Amar Ujala (Hindi)*” both dated 01/05/2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received before the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structures falling in the stretch of land from Km. 174.04 to Km. 176.4 (Deorighat-Premghat Section, Km. 0/000 to Km. 2/395) of the NH 22 (New NH-05) in the district of SHIMLA in the state of HIMACHAL PRADESH.

State: HIMACHAL PRADESH			District: SHIMLA		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Theog				
	Village: Shali Tingar (290)				
1	138/3	Private	Ghasni	0.0296	Durga Singh 138/3
2	138/3	Private	Ghasni	0.0296	Kahan Singh 138/3
3	421/1	Private	Banjer Kadeem	0.0017333	Ravinder Singh 421/1
4	421/1	Private	Banjer Kadeem	0.0017333	Jasbir Kaur 421/1
5	421/1	Private	Banjer Kadeem	0.0008666	Harvinder Kaur 421/1
6	421/1	Private	Banjer Kadeem	0.0008666	Gagneet Kaur 421/1
7	596/452/3/1	Private	Jaaye Saffed	0.004025	Deepak 596/452/3/1
			TOTAL	0.0684248	

[F. No. RW/NH-12014/707/2013/HP/NH-I(Part)/3D]

RAJESH GUPTA, Director